एन.एच.पी.सी. लिमिटेड
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	किशनगंगा पावर स्टेशन (330 मेगावाट)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख **क)** पर्यावरण संबंधी स्वीकृति **ख)** वन संबंधी स्वीकृति	**क)** सं- जे-12011/36/2003-आईए-आई, दिनांक 09.03.2006 **ख)** आदेश संख्या 219-FST of 2008 दिनांक 27.5.2008
4	**स्थान** क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 बांदीपोरा जम्मू और कश्मीर 34° 39′ 00′′ उ. (बांध स्थल) 74° 45′ 08′′ पू. (बांध स्थल)
5	**पत्र-व्यवहार का पता** क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	पावर स्टेशन प्रमुख, किशनगंगा पावर स्टेशन, एनएचपीसी आफिस काम्पलेक्स, करालपोरा, बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर -193502 टेलीफोन नं:01957-225008, फैक्स नं.: 01957-225011 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण व विविधता प्रबंधन), एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद-121003 ईमेल : envdivmgnco@nhpc.nic.in
6	**पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण**	परियोजना में निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं: 1. जैवविविधता संरक्षण योजना 2. जलग्रहण क्षेत्र उपचार 3. मत्स्य पालन विकास 4. जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली 5. ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन 6. ऊर्जा संरक्षण उपायों 7. डम्पिंग स्थलों का पुनरुद्धार 8. भूसुदर्शनीकरण और निर्माण-क्षेत्रों का पुनरुद्धार 9. जलाशय के चारो ओर हरित पट्टी का विकास 10. आपदा प्रबंधन योजना 11. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)	**क) जलमग्न क्षेत्र (हैक्टेयर में) :**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>क) जलमग्न क्षेत्र:
(वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)

ख) अन्य</td>
<td>वन भूमि : 70.00
गैर-वन भूमि : 214.05
उप-जोड़ : 284.05

ख) अन्य (हैक्टेयर में) :
वन भूमि : 55.00
गैर-वन भूमि : 42.56
उप-जोड़ : 97.56
(क) कुल: 381.61 हैक्टेयर
(ख) बांदीपोरा में अतिरिक्त गैर-वन भूमि का अधिग्रहण: 03 मरला
(ग) गुरेज़ में अतिरिक्त वन भूमि : 0.9574 हैक्टेयर
कुल योग (क +ख +ग) = 382.57 हैक्टेयर</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./
आदिवासी

ख) अन्य</td>
<td>परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण:
<table>
<tr><th rowspan="2">स्थान</th><th colspan="3">श्रेणी</th></tr>
<tr><th>पूरी तरह प्रभावित</th><th>आंशिक रूप से प्रभावित</th><th>कुल परियोजना प्रभावित परिवार संख्या</th></tr>
<tr><td>बिजलीघर क्षेत्र (बंदीपोरा)</td><td>05</td><td>166</td><td>171</td></tr>
<tr><td>बांध क्षेत्र (गुरेज़)</td><td>143+15</td><td>487</td><td>645</td></tr>
<tr><td>उप-जोड़</td><td>163</td><td>653</td><td>816</td></tr>
</table>
प्रभावित परिवारो की श्रेणी:
<table>
<tr><th>स्थान</th><th>सा.</th><th>अनु. जा</th><th>अनु.ज.ज</th><th>पि.जा.</th><th>अ.पि.क्षे.</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>बिजली घर क्षेत्र</td><td>114</td><td>02</td><td>53</td><td>01</td><td>01</td><td>171</td></tr>
<tr><td>बांध क्षेत्र</td><td>-</td><td>-</td><td>*645</td><td>-</td><td>-</td><td>645</td></tr>
</table>
(RBA- आरक्षित पिछड़े क्षेत्र)
* पुष्टिकरण अभी वांशित है।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसी कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष
ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च

ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन

घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td>
<td>₹ 3642.04 करोड़, सितंबर-2007 पीएल पर (सीसीईए अनुमोदित)।
₹ 5658.82 करोड़, पूर्णता लागत पर (2.4 मेगावाट की क्षमता वाले डैम टो पावर हाउस सहित)

₹ 5854.37 (मार्च, 2026 तक)

रु. 59.06 करोड़ (EMP) + रु. 171.22 करोड़ (संशोधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना) + रु. 4.42 करोड़ (retrenched भूमि के मालिकों को वित्तीय सहायता) = ₹ 234.72 करोड़
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)</th><th>आवंटित राशि (लाख रुपये में)</th><th>खर्च (लाख रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जैवविविधता संरक्षण योजना</td><td>102.06</td><td>27.50</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	1024.0	1024
3	मत्स्य पालन विकास	630.78	505.00
4	जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली	186.27	154.79
5	ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन	91.40	8.998
6	जलाऊ लकड़ी/ एलपीजी डिपो और ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए प्रावधान	63.79	54.05
7	डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन	1770.66	1693.69
8	भूसुदर्शनीकरण और निर्माण क्षेत्रों का पुनरुद्धार	191.37	18.26
9	जलाशय के चारो ओर हरित पट्टी का विकास	58.69	58.69
10	आपदा प्रबंधन योजना	154.12	0.00
	कुल योग (क)	**4273.14**	**3544.978**
11	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	17122.00	16335.46
	भू-स्वामियों को वित्तीय मदद	442.75 (दिनांक 24.11.17 को पुनः अनुमोदित)	399.93
	उप - योग (ख)	**17564.75**	**16735.39**
12	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	95.69	75.00
13	वन भूमि के लिए मुआवजा	327.58	257.00
14	नेट प्रेजेंट वैल्यु	1198.23	939.00
15	31.03.2022 को गुरेज में अधिग्रहीत वन भूमि का एनपीए, सीए आदि	12.27	12.27
	उप - योग (ग)	1633.77	1283.27
	कुल योग (क+ख+ग)	**23471.66**	**21563.64**

10	**वन भूमि की आवश्यकताएं**	
	क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति	वन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या 2008 का 219-एफएसटी, दिनांक 27.5.2008 द्वारा 125 हैक्टेयर वन भूमि के लिए वन संबंधी स्वीकृति दे दी गई है।
	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2021 को गुरेज़ में 0.9574 हेक्टेयर वन भूमि के लिए मुख्य वन मंजूरी प्राप्त हुई। यह भूमि वन आवरण से रहित है।पावर स्टेशन द्वारा एफआरए प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन के - साथ निरंतर समन्वय एवं प्रयास जारी रखे है। कुल पेड़: 11215 संख्या पूर्ण कटाई के लिए अनुमोदन : 1460 संख्या पेड़ + 842 संख्या पौधे पूर्ण की गई कटाई: 1402 संख्या

11	**निर्माण की स्थिति** क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख(वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई)	जनवरी, 2009 (वास्तविक) मई , 2018 (वास्तविक)
12	**विलम्ब के कारण। यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है।**	लागू नहीं।
13	**स्थल के दौरों का ब्यौरा** क) निगरानी समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	**बहुविधा पर्यावरणीय निगरानी समिति का दौरा व बैठक:** 1. पहला दौरा व बैठक: 1 जून 2011 2. दूसरी दौरा व बैठक: 16-17 नवम्बर 2012 3. तीसरी दौरा व बैठक: 11-12 दिसम्बर 2013 4. चतुर्थ दौरा व बैठक: 10-13 अगस्त 2015 5. पाँचवा दौरा व बैठक: 26-29 अक्टूबर 2017 6. छठा दौरा व बैठक: 6-7 जून, 2023 • उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, चंडीगढ़ के प्रतिनिधि द्वारा बहुविधा पर्यावरणीय निगरानी समिति के सदस्यों के साथ परियोजना का दौरा किया गया। • परियोजना के आर एंड आर मुद्दे सहित विभिन्न चल रहे विकास कार्यों के लिए 11.09.2019, 02.11.2019 और 07.01.2020 को जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। • सितंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा साइट निरीक्षण किया गया। • जल (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 21 के तहत आदेश संचालित करने की सहमति प्रदूषण) अधिनियम, 1981, जैसा कि किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, क्रालपोरा, बांदीपोरा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के पोर्टल पर लागू है, औद्योगिक क्षेत्र के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लाल श्रेणी के लिए 21.02.2024 को अगस्त-2024 तक जम्मू-कश्मीर पीसीसी द्वारा जारी किया गया। नवीनीकरण हेतु आवेदन व 3 वर्ष की फीस जमा कर दी गयी है। प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	**संलग्नक- क** के रूप में संलग्न ।

<u>संलग्नक-क</u>

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या J-1-2011/36/2003-IA-I दिनांक 09.03.2006 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति।

भाग क: <u>विशिष्ट शर्तें</u>

(i). अब केवल एक गांव प्रभावित होगा । परियोजना प्रभावित गांव के ताजा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संचालन के बाद प्रभावित आबादी और परिवारों की सही संख्या इस मंत्रालय को भेजी जा सकती है। प्रभावित परिवारों को ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित आर एंड आर योजना के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए। निगरानी और आर एंड आर योजना के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से एक महिला प्रतिनिधि को शामिल करना चाहिए।

अनुपालन: पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.10.2007 से कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना व सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण स्वीकार कर लिया, जिसकि वित्तीय लागत रु.30.66 करोड़ की थी। हालांकि इसके बाद विभिन्न साझेदारों व संबंधित MLA's के साथ सिलसिलेवार बैठको के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को संशोधित करते हुए इसकी कुल लागत रु 253.75 करोड़ कर दी गयी, जिसे उपायुक्त, बंदीपोरा द्वारा दिनांक 3.9.11 को अनुमोदित भी कर दिया गया। इसी क्रम में, जिला प्रशासन, बंदीपोरा को स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों के कार्यान्वयन व पुनर्वास और पुनर्वास कॉलोनी के लिए भूमि की लागत, आदि के लिए रु° 6491.58 लाख जारी कर दिए है ।

हालाँकि, जैसा कि दिनांक 19.02.2015 को आर एंड आर मुद्दों की समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति के निर्देशानुसार , आर एंड आर योजना को रतले एचईपी के लिए पहले से अनुमोदित आर एंड आर योजना के आधार पर फिर से तैयार किया गया और इसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के कैबिनेट आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा कुल संशोधित वित्तीय निहितार्थ 152.72 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया, जिसे जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने दिनांक 22.12.2016 को कुल लागत 171.22 करोड़ में मंजूरी दे दी।

सत्यापित के अनुसार, गुरेज़ में विस्थापित हो रहे PAF's की संख्या कुल 143 है। सभी 143 PAF's को पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है, इनमे से 125 PAF's को नकद राशि लेने का विकल्प चुना व अन्य 18 PAF's ने भूमि व नकद राशि लेने का विकल्प चुना। विस्थापित हो रहे PAF's को सफलता पूर्वक जलमग्न हो रहे स्थान से खाली कराया गया तथा इंडस वॉटर संधि के अनुसार जलाशय को भरा गया। सत्यापित के अनुसार बंदीपोरा में कुल 5 विस्थापित परिवार है तथा उन्हे पूरा भुगतान दिया जा चुका है। 16.05.2018 को आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आर एंड आर योजना की समीक्षा/पुनरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

i) पीएएफ की सूची में 76 छूटे हुए परिवारों को शामिल करना

ii) गुरेज़ में अतिरिक्त 46 आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को आर एंड आर लाभों का भुगतान स्वीकृत किया गया है।

iii) बडवान गांव गुरेज के विस्थापित परिवारों के लिए 05 मरला भूमि का प्रावधान।

iv) सोलर स्ट्रीट लाइट के प्रावधान में 2 करोड़ रुपये की वृद्धि। परियोजना के लिए पीएएफ की संशोधित संख्या इस प्रकार है:

स्थान	**श्रेणी**		
	पूरी तरह प्रभावित	**आंशिक रूप से प्रभावित**	**कुल परियोजना प्रभावित परिवार**
बिजली घर क्षेत्र (बंदीपोरा)	05	166	171
बांध क्षेत्र (गुरेज़)	143+15=158	487	645
कुल	**163**	**653**	**816**

दिनांक 19.10.2019, 02.11.2019 और 07.01.2020 को आर एंड आर मुद्दों पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें केजीएचईपी के आर एंड आर से संबंधित कार्यों पर डीसी, बांदीपोरा के साथ चर्चा की गई।

(ii). जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य को छह वर्ष मे किया जाएगा।

अनुपालन: पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट मे जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT) के लिए रु. 679.94 लाख रखा गया था। परंतु, वन विभाग, जम्मू और कश्मीर ने इस योजना की समीक्षा करके इसकी लागत रु.1024 लाख कर दिया। पर्यावरण एवं वन विभाग ने पत्र दिनांक 12.01.2016 द्वारा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की लागत में वृद्धि के लिए NOC दिया। जम्मू-कश्मीर वन विभाग को सातवीं किस्त के रूप में 18.00 लाख रुपये की राशि दिनांक 29.08.2022 को जारी की गई है। इस प्रकार, कैट योजना के कार्यान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर वन विभाग के पास जमा की गई कुल राशि 997.43 + जीएसटी 26.55 लाख रुपये है। कैट के कार्यों की अब तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

परियोजना द्वारा निगर्मित कोष	**वन विभाग द्वारा खर्च किया जा चुका कोष**	**किए गए इंजीन्यरिंग वर्क्स का ब्यौरा**	**पौधारोपन एरिया तथा लगाए गए पोधों की संख्या**
रु. 997.43 लाख	रु. 992.8 लाख	1. DRSM कार्य : 233532 cum 2. Crate कार्य: 2843 Nos 3. कैच वॉटर ड्राइन: 1110 rmtr 4. ब्रुशवूड चेक डैम: 197 Nos	कुल क्षेत्रफल : 563 हेक्टेयर लगाए गए पौधों की संख्या: 437300 नं पैच मे बुवाई: 82000 नंबर नर्सरी विकसित: 3 हेक्टेयर

(iii). भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा 15% से बढ़ा कर 30% करा जाए ।

अनुपालन: जम्मू एवं कश्मीर के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 के अनुसार 15% जबराना परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि/ संपत्ति के मुआवजे के साथ भुगतान किया गया है।

(iv). बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। मच्छर प्रजनन रोकने के लिए उन्हें पानी के प्रवाह की एक न्यूनतम दर 60 मी./सेकंड बनाए रखा जाना चाहिए। मलेरिया मच्छर प्रजनन की समस्या को कम करने के लिए विशेष उपायों को इस परियोजना के एक भाग के रूप में किया जाना होगा।

अनुपालन: इस शर्त को पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 01.10.12 के पत्र के माध्यम से बदल दिया जोकी निम्न प्रकार से किया है : "बांध के नीचे बहाव में जीवन के निर्वाह के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय जलीय प्रवाह 4.25 cumecs से कम नहीं किया जाना चाहिए"। हालांकि आईसीए के निर्देशानुसार, 9.00 क्यूमेक्स का न्यूनतम पर्यावरणीय जलीय प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है जिसके लिए बांध बॉडी में 1300 mm का pipe डाला गया है।

(v). परियोजना अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र में पाए जाने वाले लुप्तप्राय औषधीय पौधों की जैव विविधता संरक्षण एवं गुणन के लिए कदम उठाने चाहिए ।

अनुपालन : ईएमपी के अनुसार जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए ₹ 102.06 लाख की राशि निर्धारित की गई थी। वन्यजीव विभाग, सरकार को ₹ 27.50 लाख की पहली किस्त जारी की गई। जम्मू-कश्मीर का. और उपयोग में लाया जाता है। सहायक निदेशक ने पत्र दिनांक 25.09.2023 और 27.10.2023 के माध्यम से डीपीआर निर्माण और परियोजना के निष्पादन के लिए शेष निधि जारी करने का अनुरोध किया। निधि आवंटन को और सुव्यवस्थित करने के लिए, शेष राशि के वन्यजीव वार्डन, सोपोर और प्रोजेक्ट ऑफिसर, CAT के बीच वितरण के संबंध में PCCF द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह स्पष्टीकरण बाद में PCCF कार्यालय से दिनांक 06.08.2025 के पत्र (संलग्न) के माध्यम से प्राप्त हुआ।

शेष धनराशि परियोजना की डीपीआर प्रस्तुत किए जाने के उपरांत परियोजना अधिकारी, कैट को जारी की जाएगी। साथ ही, धनराशि जारी करने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव वार्डन से अनुरोध किया गया है।

(vi). प्रस्तावित मत्स्य विकास योजना राज्य मत्स्य विभाग के परामर्श से लागू किया जाना चाहिए।

अनुपालन: रु. 57.33 लाख की राशि को ईएमपी रिपोर्ट में मत्स्य विकास योजना के लिए निर्धारित किया गया था। जनवरी 2011 में रु. 25 लाख की राशि पहली किस्त मत्स्य विभाग, को गुरेज़ में मछली फार्म के विकास से संबंधित कार्यों के लिए जारी कर दिया गया है। मत्स्य विभाग ने रु. 24.48 लाख के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। राज्य मत्स्य विभाग ने दिनांक

10.02.2014 को मत्स्य विकास योजना की लागत रू. 630.78 लाख संशोधित किया गया था, जिसकी प्रसाशनिक स्वीकृति, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 23.08.2017 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान कर दी गयी है।
एनएचपीसी ने निदेशक (मत्स्य) व अन्य मत्स्य विभाग अधिकारियों के साथ दिनांक 13.10.17 को एक बैठक कर उनके साथ कार्य अनुसूची को अंतिम रूप देने व काम करने के लिए जरूरी कॉडल फॉर्मैलिटीस की चर्चा की, जहाँ यह तय किया गया के बची हुई रु.605.78 लाख अतिरिक्त राशि को उपयोग का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर 4 तिमाही किस्तों में निगर्मित किया जा सकता है।
उपरोक्त के मद्देनजर, एनएचपीसी ने दिनांक 9.2.2018 को रु.150 लाख की राशि निदेशक (मत्स्य) को दे दि है ताकि वह अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार विभिन्न अवयवों के अनुसार काम करवा सके। एडीएफ़, बंदीपोरा द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2019 के माध्यम से रु°150 लाख के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। निष्पादन एजेंसी के कार्यकारी अभियंता (आर एंड बी), जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ दिनांक 04.03.2020 को साइट दौरा किया गया। मत्स्य विभाग द्वारा बांदीपोरा में मत्स्य विकास से संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया है।
KGPS की शेष मत्स्य (फिशरी) कार्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 19.02.2021 को मत्स्य निदेशक (Director, Fisheries) को ₹230 लाख जारी किए गए थे। दिनांक 16.02.2023 तक मत्स्य विभाग को कुल ₹405 लाख जारी किए जा चुके थे, जिनमें से ₹287.89 लाख व्यय किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, गुरेज में शेष मत्स्य कार्यों के लिए 25.03.2023 को ₹100 लाख जारी किए गए। सहायक निदेशक, मत्स्य पालन, जिला बांदीपोरा ने अपने 06.10.2023 के पत्र के माध्यम से गुरेज में ट्राउट हैचरी की स्थापना हेतु शेष ₹125.78 लाख की राशि जारी करने का अनुरोध किया है। मत्स्य विभाग से उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) प्राप्त होने के बाद ही यह राशि जारी की जाएगी।

पार्ट बी: सामान्य शर्तें:

I. पर्याप्त मुफ्त ईंधन की व्यवस्था निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों के लिए किया जाना चाहिए जिसका खर्चा परियोजना लागत मे शामिल होना चाहिए ताकि पेड़ों कि अविवेकपूर्ण कटान रोका जा सके।
अनुपालन: परियोजना कमीशन हो चुकी है । उक्त शर्त का पालन निर्माण के समय पूर्ण रूप से किया गया था।

II. ईंधन (मिट्टी का तेल / लकड़ी / एलपीजी) प्रदान करने के लिए साइट पर ईंधन डिपो खोला जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही मनोरंजन सुविधाओं भी मजदूरों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
अनुपालन: परियोजना कमीशन हो चुकी है । उक्त शर्त का पालन निर्माण के समय पूर्ण रूप से किया गया था।

III. निर्माण कार्यों के लिए लगे हुए सभी मजदूरों को अच्छी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जाना चाहिए और उन्हें कार्य परमिट जारी करने से पहले पर्याप्त रूप से इलाज किया जाना चाहिए।
अनुपालन: परियोजना कमीशन हो चुकी है । उक्त शर्त का पालन निर्माण के समय पूर्ण रूप से किया गया था।

IV. निर्माण क्षेत्र तथा डम्पिंग स्थलों के पुनरुद्धार हेतु खोदी गई सामग्रियों के निस्तारण करते हुए के स्थल समतलीकरण, गड्ढों को भरना भूसुदर्शनीकरण आदि कार्यों द्वारा निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए । इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनीकरण किया जाना चाहिए।
अनुपालन : विभिन्न निर्माण स्थलों से उत्पन्न मलबे को निर्धारित और पदांकित डंपिंग स्थलों पर डाला गया व मलबे को दूसरे स्थानो पर फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय जैसे crate walls इत्यादि बनवाए गए। टीबीएम के मलबे के डंपिंग स्थल का पुनरुत्थान राज्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। इस संबंध में, एनएचपीसी ने पत्र दिनांक 23.07.2018 द्वारा PCCF, जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है की वे डंपिंग स्थलों के जल्द पुनरुद्धार हेतु भूमि संरक्षण विभाग / डीएफ़ओ बंदीपोरा या किसी अन्य संस्था के साथ मामले को आगे बढ़ाएँ। डीएफओ (कैट) द्वारा साइट का निरीक्षण किया गया और स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए दिनांक 21.06.2019 को डीपीआर प्रस्तुत किया।
कार्य के निष्पादन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2019 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं डीएफओ (कैट) से कार्य प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। सीएफ ने कार्य निष्पादन हेतु 07.01.2020 को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की. तदनुसार, परियोजना अधिकारी (कैट) ने सूचित किया की दिनांक 14.08.2020 को

निविदाएं जारी कीं गयी व गुरेज और बांदीपोरा में मक निपटान स्थल के कार्य निष्पादित करने के लिए अंतिम बोली लगाई जा चुकी है। टीबीएम साइट और कंजालवान साइट पर काम पूरा हो गया है। जम्मू-कश्मीर वन विभाग ने कंजालवान के संयुक्त साइट दौरे के लिए भी अनुरोध किया है।

V. ऊपर सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।
अनुपालन: डी पी आर में वित्तीय प्रावधान किया गया है ।

VI. सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन का निगरानी करने के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विषयक समिति गठित की जानी चाहिए।
अनुपालन: एक बहु-विषयक समिति किशनगंगा जलविद्युत परियोजना पर पर्यावरण की सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई है।

VII.छमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए।
अनुपालन: छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को नियमित रूप से भेजा जा रहा है।

<u>अन्य पर्यावरण की रक्षा के उपाय:</u>

i. **जलाशय के आसपास ग्रीन बेल्ट विकास का निर्माण** : वन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2019 के माध्यम से जलाशय के चारों ओर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के निर्माण कार्य के निष्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 30.10.2019 को दे दी गई थी। पी.ओ कैट द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित के अनुसार, कार्य के निष्पादन के लिए 25 लाख + जीएसटी रुपये की एक किस्त जारी कर दी गयी हैं।

ii. **ठोस अपशिष्ट निपटान :** परियोजना टाउनशिप में घरेलू सीवेज के उपचार के लिए 20 किलोलीटर/दिन की क्षमता वाला एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त परियोजना परिसर में तीन और एसटीपी निर्माणाधीन हैं, जिनमें से दो की क्षमता 100KLD और एक 50KLD की क्षमता वाला है; ये निर्माण के अंतिम चरण में हैं। प्रस्ताव 15.09.2022 को प्रदान किया गया था और वर्तमान में यह उन्नत चरण में है। आगे, घरेलू ठोस कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। उत्पन्न घरेलू कचरा नगरपालिका समिति, बांदीपोरा द्वारा एकत्र किया जाता है उनके द्वारा निर्धारित निस्तारण स्थलों पर निस्तारण किया गया।

iii. **परिवेशी वायु, जल गुणवत्ता और शोर स्तर की निगरानी:** जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत Consent to Operate (ताजा) की सहमति, संशोधित के रूप में, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण द्वारा 24 अगस्त तक नवीनीकृत किया गया था। अधिनियम के अनुसार, पावर स्टेशन को क्रमश जल अधिनियम, वायु अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत इसका अनुपालन करना आवश्यक है। अधिनियम के तहत, इकाई धारक के उत्सर्जन/प्रवाह के नमूने हर छह महीने में J &K PCC द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण किया गया होने चाहिए ताकि J&K PCC की प्रयोगशाला में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (पीसीडी) की प्रभावकारिता की जांच हो सके। "NHPC कार्यालयआवासीय परिसर-सह-, पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, क्रालपोरा डैम साइट, गुरेज एवं डावर कॉलोनी, केजीपीएस में विभिन्न पर्यावरणीय निगरानी परीक्षण करानेहेतु लेटर ऑफ अवार्ड मेसर्स न्यूकॉन कंसल्टेंट्स " एंड लेबोरेटरीज, गाजियाबाद को वर्ष में दो बार आवश्यक परीक्षण करने के लिए प्रदान किया गया है। एजेंसी द्वारा दिसंबर 2025 में नमूने एकत्र कर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा जून 2026 में पुनः परीक्षण हेतु नमूने एकत्र किए जाएंगे।

iv. **पावर स्टेशन पर वृक्षारोपण अभियान:** पावर हाउस के स्विच यार्ड क्षेत्र के पास अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक लगभग 500 नग. पौधे लगाया गया।

-----------------------------समाप्त-----------------------

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।